

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ.सूरज सिंह नेगी, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक
निर्णय दिनांक

52 / 2023
15.03.2023
26.10.2023

कजोड पुत्र बजरंग जाति धाकड निवासी रुघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार नासिरदा, तहसील नासिरदा, जिला टोंक राजस्थान

—रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 14.02.2023 नायब तहसीलदार नासिरदा पत्रावली सं.
1477 / 2022

उपस्थिति : (1) श्री हंसराज धाकड, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार, राजकीय पेट्रोकार रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 26.10.2023

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा ने अपने आदेश दिनांक 14.02.2023 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके ग्राम रुघनाथपुरा तहसील देवली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर राजस्व लगान राशि 6.40 रुपये का 50 गुना जुर्माना कुल 320 रु शास्ति अदा करने तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किए जाने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नासिरदा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेट्रोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।



बांवारनत जिला कलेक्टर
टोंक

अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल अपीलान्ट पर नहीं हुई, तामिल कुनिन्दा द्वारा विधि अनुसार अपीलान्ट पर तामिल नहीं करायी गयी थी किन्तु उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की गलत रूप से उपस्थिति दर्ज की गई है, जबकि न्यायालय की आदेशिका पर अपीलान्ट की उपस्थिति बाबत कोई हरताक्षर व अंगूठा नहीं हो रखी है। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट का मौके पर उक्त भूमि पर कब्जा काशत हो जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट का मौके पर कोई कब्जा, काशत नहीं है और ना ही अपीलान्ट का किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण है। इसके बावजूद उक्त निर्णय पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट व गोकुल पुत्र पोखर द्वारा ग्राम रुघनाथपुरा में स्थित चरागाह भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण की शिकायत सक्षम उच्च अधिकारियों से की गई थी, उक्त शिकायत की जानकारी पटवारी व अतिक्रमियों को होने पर उनके द्वारा आपस में मिलीभगत कर अपीलान्ट के विरुद्ध हलका पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है। पटवारी हलका की रिपोर्ट दुर्भावना पूर्वक की गई है। अपीलान्ट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत हलका पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है और न ही इस बाबत कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं जिससे अपीलान्ट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और वह भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 14.02.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है व नोटिस पर अपीलान्ट की स्वयं की तामिल हुई है किन्तु अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 801/2022 निर्णय दिनांक 16.12.2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलान्ट ने पुनः उक्त भूमि पर काशत कर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।



बाबत जिला कलेक्टर
देवली

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट की प्रोपर तामील हुई है किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नं. 4 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन चरागाह वाके ग्राम रूघनाथपुरा पर काश्त कर अतिक्रमण किया था। अतिक्रमित भूमि सार्वजनिक उपयोग की गैर मुमकिन चरागाह भूमि हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है। अपीलान्ट के अभिभाषक का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और वह भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें वर्तमान में भूमि पर से अतिक्रमी द्वारा कब्जा हटा लेना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2023 के जरिये लगाया गया अर्थ दण्ड व बेदखल करने की कार्यवाही यथावत रखी जाती है, परन्तु सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि तहसीलदार नासिरदा यह सुनिश्चित करेंगे की अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटा लिया है। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है। अपीलान्ट द्वारा कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में या भविष्य में किसी अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा करने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।



निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डॉ. सुरज सिंह नरोड़ा
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक